राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3) विभाग\

क्रमांक - एफ.6(11)/कार्मिक/ख-3/2022 जयपुर, दिनांक 23.11.2022

ई–निविदा सूचना

शासन सचिवालय के उपयोग के लिए फोटो स्टेट पेपर रिम(मिल पैक)क्रय किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया के तहत http://www.eproc.rajasthan.gov.in की ऑन लाईन निविदा के माध्यम से निविदा निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है ।

क्र0सं0	विवरण	विस्तृत विवरण
1.	कार्य का विवरण	शासन सचिवालय के उपयोग के लिए फोटो स्टेट पेपर रिम(मिल पैक) ए.4 साईज 7000 रिम(लगभग) एवं लीगल साईज 800 रिम (लगभग) क्रय किये जाने हेतु ई निविदा। क्रय किये जाने वाले फोटो स्टेट पेपर रिम(मिल पैक) का विस्तत विवरण एनेक्सर ई पर संलग्न है ।
2.	निविदा की अनुमानित लागत	20.00 लाख रूपये
3.	बोली प्रतिभूति राशि	40,000.00(आनलाईन ई ग्रास से)
4.	निविदा प्रपत्र शुल्क	1000.00 रुपये (आनलाईन ई ग्रास से)+ जीएसटी 18 प्रतिशत **(**रू.180.00 का डीडी/बैंकर चैक पृथक से प्रस्तुत करें**)**।
5.	RISL प्रसंस्करण शुल्क	500.00 रुपये (आनलाईन ई ग्रास से)
6.	निविदा आमंत्रितकर्ता	**mi शासन सचिव,कार्मिक (ख) विभाग,शासन सचिवालय, जयपुर**
7.	निविदा प्रपत्र को अपलोड करने की दिनांक एवं समय	23.11.2022 **को सायं 6.00 बजे**
8.	निविदा प्रस्तुत करने के अन्तिम तिथि व समय	28.11.2022 **को सांय 4.00 बजे**
9.	ई प्रकोयरमेन्ट पर अपलोड किये गये दस्तावेज निविदा प्रपत्र मूल्य बोली, प्रतिभूति राशि एवं RISL फीस के भुगतान के चालान की हार्ड कॉपी/कार्यालय में जीएसटी का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं नमूने प्रस्तुत करने की तिथि व समय	28.11.2022 **को सांय 5.00 बजे**
10.	तकनीकी निविदा खुलने की तिथि व समय	28.11.2022 **को सायं 6.00 बजे**
11.	वित्तीय बोली खोलने की तिथि व समय	तकनीकी रूप से योग्य बोली दाताओं को सूचित कर दिया जावेगा

1. इच्छुक बोलीदाताओं को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नामांकित http://www.eproc.rajasthan.gov.in के पोर्टल के साथ पंजीकृत होना होगा
2. यदि किसी कारणवश तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक को अवकाश रहता है तो उसके अगले दिन उसी समय पर तकनीकी निविदा खोली जावेगी ।
3. निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट www.dop.rajasthan.gov.in, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की वेबसाईट www.dipr.rajasthan.gov.in एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.raj.nic.in पर देखे जा सकते है ।
4. वित्त(जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र क्रमांक प06(5)वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.4.2020 के अनुसार ई प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया हेतु बोली दस्तावेज मूल्य, बोली प्रतिभूति राशि एवं RISL फीस ऑनलाईन ई ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवायी जानी आवश्यक है। बोली दस्तावेज मूल्य की जीएसटी की राशि रू. 180/- का डीडी/बैंकर चैक पृथक से उप शासन सचिव , कार्मिक(ख)विभाग, सचिवालय,जयपुर के नाम से प्रस्तुत करना होगा एवं आनलाइन अपलोडेशन भी करना होगा।

सहायक शासन सचिव
कार्मिक(ख-3/स्टोर)विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

कार्मिक (ख–3) विभाग

क्रमांक प. 6(11)कार्मिक/ख-3/2022 जयपुर, दिनांक 23.11.2022

ई-निविदा सूचना

शासन सचिवालय के उपयोग के लिए फोटो स्टेट पेपर रिम(मिल पैक) क्रय किये जाने हेतु ई प्रक्योरन्मेन्ट प्रक्रिया के तहत मोहर बन्द (तकनीकी एवं वित्तीय) निविदाऐं दिनांक 28.11.2022 को सायं 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है:-

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित राशि	बोली प्रतिभूति राशि निविदा मूल्य का दो प्रतिशत	निविदा प्रपत्र शुल्क
1.	शासन सचिवालय के उपयोग के लिए फोटो स्टेट पेपर रिम(मिल पैक) ए.4 साईज 7000 रिम(लगभग) एवं लीगल साईज 800 रिम (लगभग) क्रय किये जाने हेतु ई निविदा। क्रय किये जाने वाले फोटो स्टेट पेपर रिम(मिल पैक) का विस्तत विवरण एनेक्सर ई पर संलग्न है ।	20,00,000.00	40,000.00	1000.00 रुपये + जीएसटी 18 प्रतिशत (रू.180.00 का डीडी/बैंकर चैक पृथक से प्रस्तुत करें)।

निविदा की शर्ते :-

1. आन लाईन माध्यम से ई ग्रास पर बोली दस्तावेज मूल्य,बोली प्रतिभुति राशि एवं RISL फीस जमा के बिना प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. विभागीय वेब साईट **www.dop.rajasthan.gov.in**, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की वेब साईट **www.dipr.rajasthan.gov.in,** राज्य लोक उपापन पोर्टल **(http://sppp.raj.nic.in), http://www.eproc.rajasthan.gov.in** के पोर्टल से भी डाउन लोड किया जा सकता हैं। निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क निविदादाता द्वारा ई ग्रास पर ऑन लाईन जमा कराना होगा । जीएसटी का डिमाण्ड ड्राफ्ट उप शासन सचिव , कार्मिक(ख)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के नाम से बनेगा जिसको कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा एवं आन लाईन अपलोडेशन भी करना होगा।
3. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदाऐं स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. उक्त निविदाओं को आशिंक या पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कार्मिक (ख) विभाग का होगा।
5. **तकनीकी निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य शर्ते:-**

   (i) निविदा प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि व RISL फीस वित्त(जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र क्रमांक प06(5)वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.4.2020 के अनुसार ई ग्रास पर ऑन लाईन जमा करवानी होगी। जीएसटी का डिमाण्ड ड्राफ्ट उप शासन सचिव , कार्मिक(ख)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के नाम से बनेगे। जीएसटी का डिमाण्ड ड्राफ्ट कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। जिसका अपलोडेशन ईप्रोक्योरमेन्ट पर भी किया जाना आवश्यक है।
6. **तकनीकी निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु आवश्यक शर्ते :-**

(i) आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित/प्रमाणित छायाप्रति।

(ii) निविदा के साथ जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं जीएसटी रिटर्न दिनांक 31.03.2022 तक की छाया प्रति स्वंय द्वारा हस्ताक्षरित उपलब्ध करावें।

(iii) तकनीकी निविदा प्रपत्र भरा हुआ तथा सम्बन्धित सभी परिशिष्ट व सभी दस्तावेज स्वयंद्वारा हस्ताक्षरित किये होने चाहिये ।

(iv) फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 दोनों वर्षो में फर्म की कुल बिक्री/टर्नओवर रू. 20.00 लाख होना आवश्यक है। इस हेतु निविदादाता द्वारा अपने सी.ए. का प्रमाण् पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

(v) नमूने स्वंय द्वारा हस्ताक्षरित सामग्री लिस्ट के साथ दिनांक 28.11.2022 को सायं 5.00 बजे तक संबंधित स्टोर में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

(vi) किसी भी उपापन संस्था द्वारा गत 3 वर्षो की अवधि में विवर्जित(Debared) नहीं किये जाने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7 **तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर ही निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जावेगी।**

8. सामान्/वस्तु की क्रय राशि अनुमानित हैं। अनुबन्ध अवधि के दौरान क्रय सामग्री की कुल क्रय अनुमानित कीमत से कम/अधिक हो सकती है। जो राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-73 के अनुसार होगा।
9. विशेष परिस्थितियों में राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-74 के अनुसार कार्य Fair, Transparent & equitable manner से विभाजित किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

10. राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के उपनियम-29 (ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड अध्यधीन होगी। कीमत गिरने संबंधी खण्ड दर संविदा के निबंधनों और शर्तो में सम्मिलित किया जायेगा। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मो या सेवाऐं देने के लिए उसकी कीमत कट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए हर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वत: कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मो को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मो और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

11. राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 प्रभावशील है। अत: उक्त निविदा पर उक्त अधिनियम व नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील होगें। इसके साथ ही जीएफएण्डएआर के नियम भी प्रभावशील रहेगे।

12. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु : -

(1.) **कार्मिक (ख—-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के उपयोग के लिये फोटो स्टेट पेपर रिम(मिल पैक) क्रय किये जाने हेतु दरे अनुमोदन कराने हेतु** बोलीदाताओं को वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए. निविदा के प्रथम भाग में तकनीकी निविदा प्रस्ताव एवं द्वितीय भाग में वित्तीय निविदा प्रस्ताव होगें ।

(2.) बोलीदाताओं को ई-निविदा प्रक्रिया को समझने के लिए वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से जाने के लिए और कड़ी "ठेकेदार के लिए मदद", "डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) के बारे में जानकारी", "पूछे जाने वाले प्रश्न " का उल्लेख है और चाहिए।

(3.) बोलीदाताओं को एक वर्ग 2 या ई निविदा पोर्टल के लिए एक लाइसेंस प्राप्त प्रमाणन प्राधिकरण (सीए) द्वारा जारी वर्ग **3**श्रेणी के डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता है ।

(4.) पूरा बोली दस्तावेज डाउनलोड करने के प्रयोजन के लिए वेबसाइटों http://dop.rajasthan.gov.in और http://eproc.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया गया है.।

(5.) बोली दस्तावेज (तकनीकी और वित्तीय बोली) सहित सभी संचार / पत्राचार बोलीदाता के नामित अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए ।

(6.) तकनीकी बोली निविदा सूचना में और बोली लगाने के नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा सूचना में अंकित दिनांक के अनुसार खोला जाएगा. तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया की योग्यता प्राप्त बोलियों पर ही वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के लिए आगे विचार किया जाएगा. वित्तीय बोली हेतु सभी तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों को बाद में सूचित किया जाएगा जो अलग तारीख और समय पर तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं / नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी ।

(7.) वित्त(जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र क्रमांक प06(5)वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.4.2020 के अनुसार बोलीदाताओं को निविदा **प्रपत्र** शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि और ई-टेंडर प्रक्रिया शुल्क ई ग्रास पर ऑनलाईन जमा करवाकर तकनीकी निविदा के साथ सभी दस्तावेजों की हार्डकॉपी एवं नमूने दिनांक 28.11.2022 को सांय 5.00 बजे तक सहायक शासन सचिव,कार्मिक्(ख-3)विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर के कक्ष में जमा करवानी होगी ।

13. ई-निविदा से संबंधित बिन्दु (1.) बोलीदाता ई उपापन की बेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in को देखें एवं बोली के लिए पंजीकरण और ई निविदा प्रस्तुत करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा ।

(2.) बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख के पहले अच्छी तरह से अपनी बोली प्रस्तुत करना चाहिए कार्मिक विभाग आखिरी समय पर प्रस्तुत करने के दौरान बोलीदाता को पेश करने में आ रही किसी भी समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं होगा एवं समय सीमा / वेबसाइट पर प्रस्तुत नहीं की बोलियों को शामिल करने के लिए अनुमति का विस्तार से उपरोक्त कारणों की वजह से विचार नहीं किया जाएगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(3.) बोलीदाताओं को बेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in/ पर रजिस्टर और ई-टेंडर के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा । बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी । ऑफ़लाइन प्रस्तुत बोलियों के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया किया जावेगा और खारिज कर दिया जाएगा ।

(4.) वित्तीय बोली के लिए, बोलीदाताओं बोली के एक भाग के रूप में वेबसाइट पर अपलोड BoQ.XLS (माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ़ाइल) डाउनलोड करना चाहिए और टेम्पलेट के लिए किसी भी संशोधन के बिना विवरण भरें । डाउनलोड BoQ.XLS (माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ़ाइल) में किए गए छेड़छाड़ / परिवर्तन प्रारूप वेबसाइट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(5.) बोलीदाताओं को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक वैध वर्ग 2 या वर्ग 3 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की जरूरत है ।

(6.) बोलीदाताओं को अपनी बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने आवश्यक है।

(7.) कार्मिक विभाग गैर अनुपालन के मामले में ई टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए बोलियों की अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(8.) बोलीदाताओं को सभी आवश्यक दस्तावेजों जिसका निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया है अपलोड करने की जरूरत है ।

(9.) आवश्यकता पडने पर शुद्धिपत्र वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा और इस बोली का एक हिस्सा होगा बोलीदाताओं को बोली से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से इस वेबसाइट पर देखना चाहिए ।

(10.) बोलियां को ऑनलाइन खोला जाएगा । बोलीदाता कार्मिक (ख-3) विभाग में बोली ऑन लाईन खोलते समय उपस्थित हो सकते हैं ।

(11.) तकनीकी बोली से संबंधित दस्तावेज केवल तकनीकी बोली में अपलोड और वित्तीय बोली से संबंधित वित्तीय बोली में ही अपलोड करने चाहिए ।

(12.) BoQ और वित्तीय बोली को भरने के लिए एनेक्सर सी वित्तीय बोली प्रारूप में दिए गए ई टेंडरिंग पोर्टल में वित्तीय निविदा भरने के लिए निर्देश के लिए देखें ।

(13.) बोलीदाता के लिए अधिकतम अनुमेय आकार स्थानीय ग्राहक 2 जीबी या अधिक रैम होना चाहिए कि एक शर्त के साथ 20 एमबी 25 एमबी है. बोलीदाताओं ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए न्यूनतम संकल्प में पीडीएफ प्रारूप में दस्तावेज़ को स्कैन करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं ।

(14.) ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के लिए 20 मिनट का समय होगा ।

(15) ई-निविदा में निविदादाता को किसी प्रकार की परेशानी होने पर ई प्रक्योरमेन्ट की हेल्प डेस्क नं; 0141- 4022688 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

ह0

सहायक शासन सचिव,
कार्मिक(ख-3/स्टोर)विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर

<u>तकनीकी निविदा प्रपत्र</u>

निविदा सूचना क्रमांकः प 6(11)कार्मिक/ख/3/2022 दिनांक 23.11.2022

शासन सचिवालय, जयपुर के उपयोग के लिये फोटो स्टेट पेपर रिम(मिल पैक) क्रय किये जाने के लिए अनुमोदन हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र

1	निविदा आमंत्रित करने वाला विभाग	कार्मिक (ख) विभाग,शासन सचिवालय, जयपुर	
2	निविदा का संदर्भ	निविदा सूचना क्रमांकः प 6(11)कार्मिक/ख/3/2022 दिनांक 23.11.2022	
3	निविदा अधीन कार्य का विवरण	शासन सचिवालय के उपयोग के लिए फोटो स्टेट पेपर रिम(मिल पैक) ए 4. साईज) रिम 7000लगभग(एवं लीगल साईज) रिम 800लगभग(सप्लाई बाबत।	
4	निविदा प्राप्त करने वाले अधिकारी नाम	**उप शासन सचिव, कार्मिक (ख)** विभाग **,शासन सचिवालय , जयपुर**	
5	ऑन लाईन निविदा प्रस्तुत करने के अन्तिम तिथि व समय	28 11.2022. **को सांय 4.00 बजे**	
6	तकनीकी निविदा खुलने की तिथि, समय और स्थान	दिनांक **28 11.2022.**को सायं 6.00 बजे उपापन समिति द्वितीय के द्वारा उपस्थित बोली दाताओं के समक्ष उप शासन सचिव कार्मिक (ख) विभाग के कक्ष सं. 3208,मु. भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में खोली जावेगी ।	
7	निविदादाता का विवरण	नाम	
		पता	
		टेलीफोन	
		मोबाइल फोन	
		प्राधिकृत व्यक्ति का नामपदनाम/	
8	निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू. **1000.00 रुपये** ई ग्रास पर ऑन लाईन **जमा कराने का विवरण + जीएसटी 18 प्रतिशत रू 180.00 का** डीडी कार्यालय में प्रस्तुत करें	चालान संख्या ------------------------------ दिनांक ----------------- जीएसटी डीडी नं; दिनांक	
9	बोली प्रतिभूति राशि (निविदा मूल्य का दो प्रतिशत) राशि रू0 40,000.00 एवं निविदा प्रसंस्करण शुल्क राशि 500/- रूपये ई ग्रास पर ऑन लाईन माध्यम से जमा करवाये जाने का विवरण	चालान संख्या ------------------------------ दिनांक ----------------- चालान संख्या ------------------------------ दिनांक -----------------	

निविदादाता के हस्ताक्षर

10	जीएसटी रिटर्न दिनांक 31/03/2022 तक की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति		प्रमाणपत्र संलग्न करे पृष्ठ सख्ंया ....
11	आयकर पैन (PAN) नम्बर पैन कार्ड की छाया प्रति		प्रमाणपत्र संलग्न करे पृष्ठ सख्ंया ....
12	फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 दोनों वर्षो में कुल बिक्री/टर्नओवर रूपये 20.00 लाख होना आवश्यक है इस हेतु सीए का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें	बिक्री/टर्नओवर की राशि रूपये	सी ए का प्रमाणपत्र संलग्न करे पृष्ठ सख्ंया ....
13	किसी भी उपापन संस्था द्वारा विगत 3 वर्षो में विवर्जित(Debared) नहीं किये जाने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।		
14	नमूने		प्रस्तुत किया है अथवा नहीं

<u>निविदादाता द्वारा घोषणाः-</u>

15. **निविदा द्वि-प्रक्रमी बोली के रूप में आमंत्रित की गई है। बोलीदाता की तकनीकी क्षमता हेतु निम्न दस्तावेजों स्वयं द्वारा प्रमाणित करते हुये तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करने हैं :-**

(1) एनेक्सर-ए हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

(2) एनेक्सर-बी हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

(3) एनेक्सर-सी हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

(4) एनेक्सर -डी हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

(5) एनेक्सर-ई हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

(6) एनेक्सर-एफ हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

(7) एनेक्सर-जी हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

(8) एनेक्सर-एच हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

16 यह कि मै/ हम (नाम) --- कार्मिक विभाग द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना क्रमांक प06(11)/कार्मिक/ख-3/2022 दिनांक **23.11.2022** के अनुसरण में

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर के उपयोग के लिये फोटो स्टेट पेपर रिम (मिल पैक)क्रय किये जाने हेतु तकनीकी निविदा के साथ निम्न लिखित दस्तावेज/प्रपत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ /रहे हैं-

(1) --------------- पृष्ठ संख्या ....

(2) --------------- पृष्ठ संख्या ....

(3) ---------------- पृष्ठ संख्या ....

(4) ---------------- पृष्ठ संख्या ....

(6) ---------------- पृष्ठ संख्या ....

(7) ---------------- पृष्ठ संख्या ....

(8) ---------------- पृष्ठ संख्या ....

17. यह कि इस निविदा के सम्बन्ध में विशिष्ट शर्तें एनेक्चर-जी मेरे/हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया है, जिसके प्रमाण स्वरूप इस शर्त प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये है। मैं/हम उन शर्तो की पालना करने के लिये वचनबद्ध हूँ/हैं।

18. निविदा में सप्लाई की जानी वाली सामग्री की दरों के अलावा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।

19. उक्त निविदा को आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कार्मिक (ख) विभाग,शासन सचिवालय, जयपुर का होगा ।

20. क्रय सामग्री की अनुमानित मात्रा कम/अधिक हो सकती है। जो राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-73 के अनुसार होगा।

21. यह कि मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

22. सामान की मूल कीमत एवं जीएसटी अलग अलग कॉलमों में दर्शायी जावे ।

23. (क) आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित मात्रा एवॅ स्पेसिफिकेशन संलग्न एनेक्सर-ई के अनुसार है।

(ख) सप्लाई की जाने वाली सामग्री की दरें अलग से वित्तीय निविदा प्रपत्र एनेक्सर-आई में अंकित की जावे तथा वित्तीय निविदा प्रपत्र में अपलोड की जावे।

24· क्रय आदेश दिये जाने की दिनांक से 5 दिवस की अवधि के भीतर फर्म माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी। विभाग को तत्काल आवश्यकता होने पर क्रय आदेश की सीमा में 2 दिवस की कमी की जा सकेगी अर्थात क्रय आदेश् की आपूर्ति 3 **दिवस** में की जानी होगी। माल की सुपुर्दगी समय-समय पर दिये गये आदेशानुसार निर्धारित समय में की जावेगी।

25· विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र भी संलग्न किया जाना है। संलग्न-एफ

26. दरें FOR होंगी।

27. वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 19.11.2015 उक्त निविदा पर लागू होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

28. विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर	
दिनांक	
ठेकेदार/संस्था का नाम	
संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम	
दूरभाष संख्या (कोड़ सहित)	
मोबाइल फोन नम्बर	
ई-मेल पता	

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ……………………… for procurement of ……………………… in response to their Notice Inviting Bids No………….. Dated………… I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

निविदादाता के हस्ताक्षर

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc!

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal: .... (Supported by an affidavit)

7. Prayer: ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Doc1

निविदादाता के हस्ताक्षर

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

एनेक्सर-ई

क्रय की जाने वाली फोटो स्टेट पेपर रिम(मिल पैक) का विवरण

क्र.सं. (1)	वस्तु का नाम (मय विर्निदेशो) स्पेस्फीकेशन) (2)	अनुमानित मा्त्रा (3)	कॉलम सं.2 में दिये गये स्पेस्फीकेशन विशेष की आपूर्ति किये जाने पर स्पेस्फीकेशन का उल्लेख किया जावे। (4)
1.	**फोटो स्टेट पेपर रिम(मिल पैक)** **500 शीटस प्रति रिम 75 जीएसएम** **215X345 एमएम (एफ एस साईज)**	800 रिम	
2.	**फोटो स्टेट पेपर रिम(मिल पैक)** **500 शीटस प्रति रिम 75 जीएसएम** **210X297 एमएम (ए-4 साईज)**	7000 रिम	

नोट- 1. उपरोक्त क्रय हेतु दर्शायी गई अनुमानित मात्रा में कमी या of) संभव है।

2. नमूने प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

1. निविदादाता का नाम

2. डाक का पता

3. टेलीफोन नम्बर (दुकान)

(मोबाईल)

जयपुर

दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

निविदादाता के हस्ताक्षर

Annexure :F

<u>निविदादाताओं द्वारा घोषणा</u>

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम राजस्थान की कुटीर/लघु उद्योग इकाई के रूप में निर्माता/विनिर्माता बोनाफाइड/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोल सेलिंग/विपणन एजेण्ट हूं/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जावे तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द् कर दिया जावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम...

पूर्ण पता...

....

टेलीफोन नं. (निवास)............................... (दुकान)...................................

निविदादाता के हस्ताक्षर

एनेक्सर-जी

शासन सचिवालय, जयपुर के उपयोग के लिये फोटो स्टेट पेपर रिम(मिल पैक) क्रय किये जाने के लिए निविदा की आवश्यक शर्तें

1. निविदा प्रस्तुत करने वाले इच्छुक फर्म/ संस्था द्वारा तकनीकी व वित्तीय- दोनों प्रपत्र भरना अनिवार्य है।

2 फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 दोनों वर्षों में फर्म की कुल बिक्री/टर्नओवर रू. 20.00 लाख होना आवश्यक है । इस हेतु निविदादाता द्वारा सीए का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3 दिनांक- 31.03.2022 तक की जीएसटी रिटर्न की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी!

4 **निविदाएं ऑन लाईन खोली जावेगी । इसलिए वित्तीय निविदा को छोडकर शेष सभी दस्तावेज यथा तकनीकी निविदा, निविदा प्रपत्र मूल्य; बोली प्रतिभूति राशि एवं निविदा प्रसंसकरण शुल्क आदि ई ग्रास पर ऑन लाईन जमा करवा कर चालान की प्रति अन्य सभी संलग्नक की हार्डकॉपी ऑन लाईन तकनीकी निविदा खोलने से पूर्व दिनांक 28.11.2022 को सांय 5.00 बजे तक विभाग में जमा करवाये जाने होंगे । साथ ही जीएसटी के मूल डीडी भी विभाग में प्रस्तुत करें।** जीएसटी राशि के डीडी/ **बैंकर चेक का** अपलोडेशन **ईप्रोक्योरमेन्ट पर भी किया जाना आवश्यक है।**

5 यथा निर्धारित दिनांक व समय पर, यथा सूचित स्थान/ कार्यालय में ऑन लाईन प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जावेगा। प्रक्रिया के तहत सर्व प्रथम तकनीकी निविदा को खोला जावेगा और वित्तीय निविदा सुरक्षित रखी जावेंगी । इस हेतु गठित कमेटी/ सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जावेगा।

6 निविदा दाता द्वारा तकनीकी निविदा में दी गई सूचनाओं के सत्यापन हेतु तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया में तकनीकी समिति निविदा दाता के व्यवसायिक ठिकाने व अन्य समुचित स्थानों पर जा कर भौतिक सत्यापन भी कर सकती है।

7 तकनीकी निविदाओं के परीक्षण तथा यदि आवश्यक हुआ तो प्रस्तुतिकरण, भौतिक सत्यापन आदि के बाद केवल उन निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा ऑन लाईन खोली जावेगी, जो कि तकनीकी निविदा परीक्षण/ प्रस्तुतिकरण मे सफल/उपयुक्त पाये जावेंगे। असफल/अनुपयुक्त निविदादाताओं की ऑन लाईन वित्तीय निविदा नहीं खोली जावेंगी।

8 निविदा में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त अन्य कोई शर्त निविदादाता की स्वीकार नहीं होगी तथा कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय किसी भी निविदा को (न्यूनतम दर वाली निविदा सहित) बिना किसी कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

9. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में फर्म द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

(2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/ भागीदारों के द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक वह इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी।

10- दरें गन्तव्य स्थान पर एफ. ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु जीएसटी शामिल न करके इन्हें अलग से दिखया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाडी भाडे (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वरा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जाएगी।

11 अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तो, विनिर्देशों, आकार मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो, विनिर्देशों, रेखाचित्र आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

12 ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा या उप-भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।

13 विनिर्देश :-

निविदादाता के हस्ताक्षर

(1) प्रदाय की गई सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित विनिर्देश, टेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी जहां पर वस्तुओं की आई एस आई विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गई हो, वहां उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिये तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए। प्रदाय की गई वस्तु नवीनतम पैकिंग की होनी चाहिये। यदि किसी वस्तु के साथ कम्पनी द्वारा कोई फ्री आईटम दिया जा रहा है तो वह आईटम भी वस्तु के साथ देना होगा।

(2) तारा चिन्ह से अंकित/ क्रम संख्या पर अंकित वस्तुओ का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामलों में जहां कोई मानकीकृत या अनुमोदित दरे न हो, वहां अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा। क्रेता अधिकारी/ क्रेता समिति का इस सम्बन्ध में की क्या प्रदाय की गयी वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप है तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय अंतिम एवं निविदादाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

(3)वारंटी/गांरटी खण्ड:- निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुऐं खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से .... दिनों/माहों की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद की क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं उन्हें अनुमोदित कर दिया है यदि .... दिनों/माहों की उक्त अवधि में उक्त मालों/सामानों वस्तुओं का उपरोक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए है (तथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया जाए रदद करने का हकदार होगा। ऐसे रदद किये जाने पर माल/सामान/वस्तुऐं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रदद करने कसे सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होगें। निविदादाता यदि उसे ऐसा करने के लिये कहा जाय तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रदद कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसके दी गई शर्ते के उल्लघंन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

निरीक्षण:-

14 निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहॉं पर निरीक्षण् किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति का नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा।

15 नमूने:- अनुसूची में अंकित वस्तुओं की निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गई निविदत वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएं तो कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद दी जाएंगी।

16 प्रत्येक नमूने पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गई किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाऐंगे।

17- अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छह माह की अवधि तक नि:शुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट-फूट हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। निर्धारित अवधि की समाप्ती पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किए जाते है तो उन्हें सरकार द्वारा समपहत (Forefeit) कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम नहीं किया जाएगा।

18- असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इक्ट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उनमें परीक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट-फूट हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिए जाएंगे उन्हें समपहत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19- प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वह विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जहॉं आवश्यक हो या विहित किया गया हों या व्यावहारिक हो, वहॉं परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहो, जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहॉं पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामास्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

20- नमूने निकालना:- परीक्षणों के मामलों में निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिए जाएंगे तथा उन्हे उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा। उनमें से एक् सैट उन्हें दे दिया जाएगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं /या परीक्षण गृहों में भिजवाये जा सकेगें एंव यदि आवश्यक हुआ तो तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।

21- परीक्षण प्रभार:- परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

22- रदद करना :-

(i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएँ अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य (feasible) नहीं समक्षा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

23- रदद की गई वस्तुओ को निविदादाता उन्हे रदद करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

24- निविदादाता उचित पैंकिग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुवान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट-फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जॉच/निरीक्षण किए जाने पाई गई ऐसी हानि या कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगा।

25- प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (repudiate)कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

26· निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।

27 क्रय आदेश दिये जाने की दिनांक से 5 दिवस की अवधि के भीतर फर्म माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी। आवश्यकता होने पर माल सुपुर्दगी अवधि में 2 दिवस तक की कमी की जा सकेगी।

28· बीमा:- यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

29· भुगतान :-

(i) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ii) विविदास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(iii) उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत हैं, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका निरीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

30· (i) निविदा प्रपत्र में सुपुदर्गी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

¼ii½ परिसमापित नुकसानी :-परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा हैं:- (इस संबंध में यदि कोई हो तो निविदा प्रपत्र में अंकित की गई शर्ते ही लागू होगी।

¼1½	(क)	विहित सुपुदर्गी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2½%
	(ख्)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए	5%
	(ग)	आधी अवधी से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए	7½%
	(घ्)	विहित अवधी की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10%

¼2½ प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड् दिया जाएगा।

¼3½ परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

¼4½ यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो, वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसमें प्रदायगी हेतु आदेश दिया गया हैं। किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

¼5½ यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

(6) · वसूलियॉ :- परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट-फूट रदद् की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट-फूट रदद् किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि (dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्य सम्पादन प्रतिभूति से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

31· निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

32· यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रदद् कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र मे विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हों।

33· क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है, स्वीकार करने बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रदद. करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी हैं, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को विपरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

34· यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation)] आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न् होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा। जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिटेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उच्च अधिकारियों की नियुक्ती करेगा। ये उस अधिकारी इस संविदा से सम्बद्ध नहीं होगा, तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

35· समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार(सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर,राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

36· उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 के प्रावधान लागू होगें।

निविदा दाता का नाम मय हस्ताक्षर एवं मोहर	
दिनांक	
निविदादाता/संस्था का नाम एवं फर्म की मोहर	
संस्था की स्थिती में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम एवं प्रमाणित हस्ताक्षर	
फोन नं. मोबाईल नं.	

निविदादाता के हस्ताक्षर

एनेक्सर-एच

सहायक शासन सचिव
कार्मिक (ख-3/स्टोर) विभाग,
शासन सचिवालय

विषय—निविदा प्रस्तुत करने बाबत ।

महोदय,

ई-निविदा सूचना क्रमांक 6(11) कार्मिक/ख–3/2022 दिनांक 23.11.2022 के क्रम में **शासन सचिवालय, जयपुर के उपयोग के लिये फोटो स्टेट पेपर रिम(मिल पैक) क्रय किये जाने के लिए** टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने, दरों का निविदा प्रपत्र में उल्लेख किया है।

1. निम्नलिखित दस्तावेज फीस आदि जमा किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किये जा रहे है-

क्र0सं0.	विवरण्	नम्बर	दिनांक	बैंक
1.	निविदा शुल्क: 1000.00 रुपये ई ग्रास सिस्टम पर ऑन लाईन जमा कराया जावे एवं जीएसटी 18 प्रतिशत रू.180.00 (जीएसटी का डिमाण्ड ड्राफ्ट उप शासन सचिव , कार्मिक(ख)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर **के नाम से** बना हो जो जयपुर में देय हो) को कार्यालय में प्रस्तुत करावें। जिसका अपलोडेशन ईप्रोक्योरमेन्ट पर भी किया जाना आवश्यक है।			
2.	RISL प्रसंस्करण शुल्क: रु. 500/- ई ग्रास सिस्टम पर ऑन लाईन जमा कराया जावे।			
3.	बोली प्रतिभूति राशि निविदा मूल्य का दो प्रतिशत राशि रू0 40,000.00 ई ग्रास सिस्टम पर ऑन लाईन जमा कराया जावे			

2. मैं / हम तकनीकी और वित्तीय बोली का मूल्यांकन विभाग द्वारा जिस भी प्रक्रिया से किया जावेगा उसके लिए हम बाध्य होगें ।

3.इस संबंध में सभी कार्यक्रम और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न हैं. सभी दस्तावेजों / दस्तावेजों की फोटोकॉपी मेरे द्वारा स्वयं सत्यापित किया गया है / दस्तावेजों के / फोटोकॉपी के गलत पाये जाने पर नियमानुसार किसी सक्षम न्यायालय में हम/मुझ पर कार्मिक विभाग मुकदमा चलाने के लिए स्वतंत्र है।

4. हमारे बारे में अन्य आवश्यक विवरण तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है ।

5. मेरे / हमारे तकनीकी बोली के समर्थन में मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है: -

बोलीदाता के हस्ताक्षर	
हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
स्थिति / हस्ताक्षरकर्ता के पोस्ट	
फर्म / एजेंसी का नाम	
दिनांक	

निविदादाता के हस्ताक्षर

एनेक्सर-आई

'Financial Tender Form'

Tender Document for

शासन सचिवालय के उपयोग हेतु फोटो स्टेट पेपर रिम(मिल पैक) क्रय किये जाने हेतु।

Ref. NIT No. F-6 (11)DOP/B-III/2022 Jaipur, dated 23.11.2022

Tender Inviting Authority: D.S. DOP (B), Government Secretariat, Jaipur, Rajasthan	
Name of Work : शासन सचिवालय के उपयोग हेतु फोटो स्टेट पेपर रिम(मिल पैक)क्रय किये जाने हेतु ।	
Contract No: Ref. NIT No. F-6 (11)DOP/B-III/2022 Jaipur, dated 23.11.2022	
Bidder Name :	
SCHEDULE OF WORKS	

S.No.	Name of Item	Price per Unit	GST Amout	Total Amount
1.	फोटो स्टेट पेपर रिम(मिल पैक) 500 शीटस प्रति रिम 75 जीएसएम 215X345 एमएम **(एफएस साईज)**			
2.	फोटो स्टेट पेपर रिम(मिल पैक) 500 शीटस प्रति रिम 75 जीएसएम 210X297 एमएम **(ए- 4 साईज)**			

नोट- 1. मूल दर एवं जीएसटी अलग अलग दर्शाया जावे।

2 न्यूनतम दरों का निर्धारण आईटम वाईज प्राप्त न्यूनतम दरों के आधार पर किया जावेगा।

3 व्यवसायी द्वारा राजकीय विभाग को माल सप्लाई करते समय बिल वित्त (जीएफएण्डआर) विभाग के परिपत्र क्रमांक पं. 1(1)वित्त/जीएफएण्डआर/07 दिनांक 21-04-2010 एवं राज्य लोक उपापन नियम-2013 के अनुसार तैयार कर तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जावेगा।

1. निविदादाता का नाम
2. डाक का पता
3. टेलीफोन नं. (दुकान) (मोबाईल)

जयपुर दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर